न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4185–एक/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 1–12–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग दतिया के प्रकरण क्रमांक 59/अपील/12–13.

जगदीश प्रसाद उर्फ बृजकिशोर दुबे पुत्र पुत्र
स्व0 श्री मेहरबान दुबे आयु 65 साल
व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम चिरूला
तहसील व जिला दतिया म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 सत्यम दुबे पुत्र श्री भैरवशरण आयु 20 साल
निवासी ग्राम चिरूला, तहसील व जिला दतिया म0 प्र0
2 मायाराम दुबे पुत्र स्व0 श्री मेहरबान दुबे
निवासी ग्राम चिरूला, तहसील व जिला दतिया म0 प्र0
3 परमेश्वरी दुबे पुत्र स्व0 श्री मेहरबान दुबे
निवासी 36/5, प्रेमगंज, सीपरी बाजार, झॉसी, उ0प्र0
4 भैरव शरण दुबे पुत्र स्व0 श्री मेहरबान दुबे
5 महेश दुबे पुत्र स्व0 श्री मेहरबान दुबे
निवासीगण ग्राम चिरूला, तहसील व जिला दतिया म0 प्र0
6 रामबाबू दुबे पुत्र श्री मेहरबान दुबे
निवासी सरस्वती इंटरकॉलेज, पहाड़ी पर
सीपरी बाजार झॉसी उ0प्र0
7 हरकुंवर पत्नी स्व0 श्री मेहरबान दुबे
निवासिनी ग्राम चिरूला, तहसील व जिला दतिया म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री ए0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1 एवं 3 से 7
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 4185–एक/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण कमांक 59/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 1–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । नायब तहसीलदार दतिया के प्रकरण कमांक 5/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 25–6–10 द्वारा गैर निगराकार सत्यम वगैरह का वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन वसीयत प्रमाणित न होने से, स्वीकार नहीं किया जाकर मृत मेहरबान के वारिसान जगदीश (निगराकार) एवं गैर निगराकार कमांक 2 से 7 के हित में वारसान नामांतरण हुआ । इसके विरूद्ध गैर निगराकार कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष अपील की । आक्षेपित आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने, यह लिखते हुए कि गैर निगराकार कमांक 1 (उनके समक्ष अपीलांट) को उप पंजीयक द्वारा निष्पादित वसीयत के साक्षियों के कथन एवं कूट परीक्षण का अवसर नहीं मिला है, प्रकरण साक्ष्य एवं कूट परीक्षण के लिये नियत किया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत हुई ।

3/ प्रकरण रिकार्ड आने के बाद 9 बार तर्क हेतु नियत हुआ है । पेशी दिनांक 4–11–15 को निगराकार के अधिवक्ता एवं गैर निगराकार कमांक 1 एवं 3 से 7 के अधिवक्ता उपस्थित थे । गैर निगराकार कमांक 2 के अधिवक्ता पुकार उपरान्त अनुपस्थित रहे । प्रकरण अनेक बार तर्क हेतु नियत होने के कारण एवं अधिवक्ता द्वारा अन्य न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता बताए जाने के कारण, अनुविभागीय अधिकारी को लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए ।

4/ निगराकार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उन्हें सुने बगैर एवं वसीयत देखे बगैर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश किया जाना अनुचित है । शेष बिन्दु निगरानी मेमों के अनुसार ही दोहराए ।

5/ गैर निगराकार कमांक 1 एवं 3 से 7 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील अभी ग्राह्य भी नहीं की और केवल विषयांकित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी की जाना उपयुक्त नहीं है ।

6/ निगराकार अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में फिर बगैर वसीयत देखे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पर विचार करने के निर्णय को गलत ठहराया ।

7/ मैने प्रस्तुत तर्क पर विचार किया एवं प्रकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया । स्पष्टतः उनके न्यायालय की नस्ती के पृष्ठ 102 से 104 पर मेहरबान की एक मूल वसीयत लगी है, एवं पृष्ठ 23 से 25 पर दिनांक 8–3–13 को अपील मेमो के साथ प्रस्तुत वसीयत की प्रति भी लगी है । अतः निगराकार अधिवक्ता का यह कहना कि अनुविभागीय अधिकारी ने बगैर वसीयत देखे आक्षेपित आदेश पारित किया है, रिकार्ड के आधार पर गलत पाया जाता है।

8/ यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसके बाद प्रकरण के पक्षकारों को उनके न्यायालय में साक्ष्य, कूट परीक्षण आदि का अवसर उपलब्ध रहेगा । आक्षेपित आदेश से किसी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से ना तो प्रभावित हैं, और ना ही ऐसा माना जा सकता है कि किसी के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित होने सम्भावित हो गए हों । न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य, कूट परीक्षण आदि कराते हुए, गुणदोष पर विचार करने का निर्णय लिया जाना उपयुक्त एवं न्यायोचित है ।

9/ इस विवेचना के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 1–12–14 यथावत रखा जाता है ।

आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हो ।
अभिलेख वापस हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

5.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर